

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/09/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/37

अपीलार्थी
श्री प्रतापसिंह, एडवोकेट
कोर्ट कैम्पस, बहरोड, जिला-अलवर(राज.)-301701

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 03.02.2022
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
निर्णय

दिनांक: 12.04.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन-पत्र दिनांक: 29.12.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में प्रस्तुत शिकायत प्रा0पत्र दिनांक: 23.12.2021 के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 31.01.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से सूचना संधारित करने वाली शाखा, स्थापन प्रकोष्ठ को पत्र जारी कर नियत तिथि से पूर्व जवाब भिजवाने हेतु लिखा जाकर प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई।
6. निर्णय तिथि तक प्रत्यर्थी की ओर से सूचना प्रेषित करने संबंधी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार स्थापन प्रकोष्ठ की ओर से समय पर सूचना प्रेषित नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अतः उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अपील अंतर्गत वांछित सूचना, संबंधित अनुभाग से अतिविरत प्राप्त कर नियमानुसार अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी, स्थापन प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को भी पालनार्थ भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक: 12.04.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



(नन्मल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर